रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072020-220420
CG-DL-E-08072020-220420

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1998] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2020/ आषाढ़ 16, 1942
No. 1998] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2020/ASADHA 16, 1942

## कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

### (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2020

**का.आ. 2268(अ).—**जबकि केंद्रीय सरकार को केरल सरकार से ग्लाइफोसेट और उसके संजातों के वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

और जबकि केंद्रीय सरकार का केरल राज्य सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात्; कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रारूप आदेश, प्रस्तावित करती है, और ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिसको इस आदेश की भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

तीस दिन की यथोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त आदेश के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकने वाले किसी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

**प्रारूप आदेश**

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम ग्लाइफोसेट के उपयोग पर निर्बंधन आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. नाशीजीव नियंत्रण आपरेटर के माध्यम से ही ग्लाइसोफेट का उपयोग करेंगे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

3. सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक, पंजीकरण प्रमाणपत्र जो की ग्लाइफोसेट और उसके संजातों के लिए दिये गए है,पंजीकरण समिति को लेबल ओर लीफलेट पर मोटे अक्षरों में "ग्लाइफोसेट के उपयोग की अनुमति नाशीजीव नियंत्रण आपरेटरों (पीसीओ) के माध्यम से दी जाए" की चेतावनी शामिल किए जाने हेतु वापिस करेंगे।

4. यदि कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र, खण्ड (3) में यथासंदर्भित, तीन माह की अवधि के भीतर पंजीकरण समिति को वापस करने में विफल होता है तो उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

5. प्रत्येक राज्य सरकार राज्य में इस आदेश के अनुपालन के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसे उचित समझें, वैसे सभी कदम उठाएगी।

[फा. सं. 13035/19/2019-पीपी-I]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2020

**S.O. 2268(E).**—Whereas the Central Government has received a report from the Government of Kerala for prohibiting the distribution, sale and use of Glyphosate and its derivatives;

And whereas the Central Government, after considering the report of the State Government of Kerala and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), proposes to make, the Draft Order, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are make available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government.

Any objection or suggestion in respect to the said draft Order may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

**DRAFT ORDER**

1. (1) This Order may be called the Restriction on use of Glyphosate Order, 2020;

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. No person shall use Glyphosate except through Pest Control Operators.

3. All the holders of certificate of registration granted for Glyphosate and its derivatives shall return the certificate of registration to the Registration Committee for incorporation of the warning in bold letters "THE USE OF GLYPHOSATE FORMULATION TO BE ALLOWED THROUGH PEST CONTROL OPERATORS (PCOs)" on the label and leaflets.

4. If any person who holds the certificate of registration fails to return the certificate to the Registration Committee, referred to in clause (3), within a period of three months, action shall be taken under the provisions contained in the said Act.

5. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this Order in the State.

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.08 20:59:55 +05'30'